



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 166063

(प्रारूप-अ)

04 AUG 2023

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम संदीप कुमार यादव एवं रामधीरत सिंह यादव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव राष्ट्रीय जनसेवा संस्थान शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं कि:-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा मॉ स्वरूपा देवी कालेज ऑफ फार्मसी, ग्राम-सरौंय बहादुर, पोस्ट-शाहबाजकुली, ब्लाक व तहसील-मोहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर, ७०५० नामक डिप्लोमा इस फार्मसी संस्थान की स्थापना 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम पता ग्राम-सरौंय बहादुर, पोस्ट-शाहबाजकुली, ब्लाकतहसील-मोहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर, ७०५० में 202.205.186.18 एवं 0.862 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि हमारी उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि वाद रहित है।

यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि की के गाटा संख्य 202.205.186.18 एवं 0.862 हेक्टेयर क्रमशः हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 07.06.2017 द्वारा पारित किया गया है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

यह कि इस भूमि पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही भवनों का निर्माण फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

Lucknow
Date: 01/09/2023

I know the content is independent
has signed put it.

8. यह कि इस संस्था में फार्मसी फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और नही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलि-भाति पालन करूंगा। यह कि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है, तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्व रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरहित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जायेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वय उत्तरदायी होऊंगा।



Re Singh

ह० सचिव
Chairman/Secretary
Rastriya Jansewa Santhan
Ghaziipur

Sandeep

ह० अध्यक्ष
Chairman/Secretary
Rastriya Jansewa Santhan
Ghaziipur

ATTESTED

Sworn & Verified
Before Me.

Kartikay Kumar Singh
(Advocate)
NOTARY

Lucknow (U.P.) INDIA
Date: 01/09/2023

[Signature]

I know and identify the deponent who has signed put T.J. before me.